

सुश्री श्रेयसी सिंह, माननीया मंत्री, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-
02.09.2026 (बुधवार) को अपराह्न 12:00 बजे विभागीय समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री दीपक आनन्द, सचिव, खेल विभाग।
2. श्री रवीन्द्र शंकर, महानिदेशक-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना।
3. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग।
4. श्री हिमांशु सिंह, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना।
5. श्री संजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक, युवा, खेल निदेशालय।
6. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, क्रीड़ा, खेल निदेशालय।

कार्यवाही

सर्वप्रथम माननीया मंत्री, खेल विभाग, बिहार, पटना द्वारा बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। स्वागतोपरान्त बैठक की एजेंडा पर बिन्दुवार समीक्षा की गयी।

ओलम्पिक में सहभागिता का उद्देश्य

ओलम्पिक खेल में सहभागिता एवं पदक प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के प्राथमिकता सूची में शामिल खेल क्रमशः एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज, बॉक्सिंग, सेपकटाकरा, रग्बी, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, साईक्लिंग, निशानेबाजी एवं कबड्डी को विशेष प्रशिक्षण के लिए खेल अवसंरचना को कर्णांकित की जानी है।

उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में राज्य में घुड़सवारी, गोल्फ एवं जिम्नास्टिक खेल विधा को बढ़ावा देने के लिए सहमति व्यक्त की गयी।

घुड़सवारी खेल

राज्य में घुड़सवारी खेल विधा को विकसित करने के उद्देश्य से माननीया मंत्री के निदेशानुसार सचिव, खेल विभाग के द्वारा दिल्ली स्थित अनेक घुड़सवारी प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। तदालोक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य में घुड़सवारी खेल विधा का एकेडमी आरा, पटना एवं अन्य जगहों पर स्थापित करने के लिए खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं बिहार पुलिस के साथ एमओयू से संबंधित आलेख तैयार करने हेतु माननीया मंत्री के द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को निदेशित किया गया।

गोल्फ

समीक्षा के क्रम में राज्य में गोल्फ खेल को विकसित करने हेतु गोल्फ एकेडमी खोलने के संबंध में पटना स्थित गोल्फ क्लब के साथ एक एमओयू करने से संबंधित विस्तृत आलेख तैयार करने हेतु माननीया मंत्री के द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को निदेशित किया गया।

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक

राज्य के पश्चिम चम्पारण (बेतिया) थारु जनजाति बहुल क्षेत्र है। जहाँ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक खेल को विकसित किया जा सकता है। प्रमण्डल स्तरीय खेल अवसंरचना के निर्माण में इस खेल से संबंधित अवसंरचना को शामिल किया जाना आवश्यक है। राज्य के प्रमण्डलीय मुख्यालयों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित खेल अवसंरचना में प्राथमिकता सूची में शामिल अन्य 13 खेल विधा के लिए भी बेहतर खेल अवसंरचना का निर्माण संकल्पित है। इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु माननीया मंत्री द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को निदेशित किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि एक प्रमण्डलीय मुख्यालय में एक ही खेल विधा का 02 (दो) अवसंरचना का निर्माण न हो। प्रमण्डलीय मुख्यालय में जमीन उपलब्धता के आधार पर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा संबंधित खेल

विधा के लिए स्टेट एक्सीलेंस सेंटर के अनुरूप कार्य योजना तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त बिहार राज्य भवन निर्माण निगम को डी0पी0आर0 बनाने हेतु भेजा जा सके।

(अनु0—बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

बिहार विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता (चांसलर कप)

लोक भवन में लिये गये उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में चांसलर कप का आयोजन कराने से संबंधित कार्य योजना के बारे में महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से पृच्छा की गयी। जिसके आलोक में माननीया मंत्री के द्वारा निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर आयोजन से संबंधित विस्तृत कार्य योजना विभाग को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही संबंधित कार्य योजना से लोक भवन को भी अवगत कराया जाय।

(अनु0—बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026

महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के पत्रांक—2808, दिनांक—03.06.2026 के द्वारा खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026 के आयोजन के प्रस्ताव पर बैठक में समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त माननीया मंत्री द्वारा इस आयोजन के अनुमानित व्यय बजट एवं अन्य राज्यों क्रमशः राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में हुए खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स में व्यय बजट के साथ आकलन करते हुए विस्तृत कार्य योजना उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को निदेशित किया गया। अंततः निर्णय लिया गया कि इसका आयोजन कराने से संबंधित निर्णय अगले वित्तीय वर्ष में लिया जायेगा।

(अनु0—बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

फेंसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आयोजन

महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा फेंसिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप कराने का प्रस्ताव दिया गया। आयोजन पर संभावित व्यय एवं संख्या, आयोजन स्थल पर विस्तृत विमर्श किया गया। विमर्शोपरान्त माननीया मंत्री द्वारा विस्तृत प्रस्ताव बजटीय उपबंध सहित बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0—बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

एफ.आई.एच. प्रो लीग का आयोजन

समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा एफ.आई.एच. प्रो लीग के आयोजन (खेल प्रतियोगिता, भोजन, आवासन एवं परिवहन) से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की। जिसमें महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उक्त लीग में कुल 7 टीमों भाग लेंगी। जिनका मैच बिहार एवं झारखण्ड में होना है। लीग के आयोजन के लिए 8 करोड़ की राशि हॉकी इण्डिया को दी जायेगी तथा शेष खर्च के लिए लगभग 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 8 करोड़ रुपये की राशि में एफ.आई.एच. द्वारा खेल प्रतियोगिता, भोजन, आवासन एवं तकनीकी पदाधिकारियों का मानदेय इत्यादि व्यय शामिल है। इसके आवश्यक तैयारी हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को निदेशित किया गया।

(अनु0—बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

बिहार खेल सम्मान समारोह

बिहार खेल सम्मान समारोह के अधिसूचना में बदलाव हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा समर्पित प्रस्ताव की समीक्षा माननीया मंत्री द्वारा की गयी। महानिदेशक के द्वारा मौखिक रूप से पुरस्कार का निर्धारण हेतु एक फॉर्मूला का जिक्र किया गया, जो स्पष्ट नहीं

हो सका। इस संबंध में माननीया मंत्री के द्वारा इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया।

(अनु०-बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

खिलाड़ी कल्याण कोष

इस विषय पर निदेशक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि खिलाड़ी का परिभाषा एक रखा जाय तथा खेल छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित सहायता राशि को छोड़ते हुए कुल 3 योजना का प्रस्ताव है। 1. चिकित्सा अनुदान, 2. स्पोर्ट्स कोचिंग एवं अन्य पाठ्यक्रम हेतु राशि, 3. खेल से सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को पेंशन हेतु सहायता राशि। इस पर माननीया मंत्री द्वारा किस लेवल के खिलाड़ी को कितनी राशि दी जायेगी इस पर भी स्पष्ट प्रस्ताव बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराने को कहा गया है।

महानिदेशक द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि इन्ज्युरी के कारण रिहैब के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर में रहने वाले खिलाड़ी एवं परिजन के भोजन की राशि किस मद से व्यय की जाय। महानिदेशक का प्रस्ताव था कि पाटलिपुत्र खेल परिसर के रक्षित राशि से व्यय करने की अनुमति दी जाय। जिसके आलोक में माननीया मंत्री के द्वारा यह पृच्छा की गयी कि पाटलिपुत्र खेल परिसर के रक्षित राशि को व्यय करने का क्या प्रावधान है? स्थिति स्पष्ट करने के उपरान्त इस पर निर्णय ली जायेगी।

सचिव महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में रक्षित राशि की जानकारी ली जाय तत्पश्चात् संभावित व्यय पर विभाग द्वारा निर्णय ली जायेगी।

माननीया मंत्री द्वारा लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में रिहैब सेंटर की जानकारी ली गयी। इस पर निदेश दिया गया कि इसे आरंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

माननीया मंत्री द्वारा बताया गया कि राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित किसी एक अधिकारिक चैम्पियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट को भी खेल छात्रवृत्ति योजना में शामिल किया जाय। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि जिस राज्य खेल संघ को सरकार की तरफ से अनुदान दी जायेगी उस संघ के द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले टीम/खिलाड़ियों को प्रेरणा योजना के तहत खेल छात्रवृत्ति दी जायेगी। इस हेतु माननीया मंत्री के द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना में संशोधन करते हुए विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को निदेशित किया गया।

(अनु०-खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

राज्य खेल संघ अनुदान

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा राज्य खेल संघ अनुदान में बढ़ोतरी के लिए उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्गत राज्य खेल संघ अनुदान अधिसूचना में वर्णित राशि के 100% बढ़ोतरी पर निर्णय लिया गया। इससे संबंधित प्रस्तावित अधिसूचना को लोक वित्त समिति से पास कराते हुए कैबिनेट नोट तैयार कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-खेल विभाग)

राज्य खेल विकास मद

राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डेवलपमेन्ट फंड की तर्ज पर राज्य खेल विकास मद बनाने के संबंध में विमर्श किया गया। जिसके आलोक में इसका विस्तृत प्रस्ताव बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनु०-बिहार राज्य खेल प्राधिकरण)

नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट (NIDJAM) का आयोजन

समीक्षा बैठक के दौरान महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट (NIDJAM) का आयोजन पुनः बिहार में कराने हेतु प्रस्ताव दिया गया। जिसके आलोक में माननीया मंत्री के द्वारा यह बताया गया कि उक्त प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित निर्णय आगामी वित्तीय वर्ष में निर्णय ली जायेगी।

(अनु०-खेल विभाग)

उपर्युक्त वर्णित कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।
अगली बैठक दिनांक-14.09.2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में निर्धारित की गयी।

सधन्यवाद, बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

(दीपक आनन्द)

सचिव, खेल विभाग।

ज्ञापांक-5/स्वे.वि.8-13/2024-3409 पटना, दिनांक-11/9/2026
प्रतिलिपि:- मंत्री के आप्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/निदेशक के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/सहायक निदेशक, युवा/सहायक निदेशक, क्रीड़ा/आई०टी० मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


11.09.26

(सिद्धांत कुमार)

अवर सचिव,
खेल विभाग।